

15-5-78

आज 20-7-78
जनरल ता. दी गई गत आवेदन
की पालना में दिनांक
को पत्र दो

एच.ए.ए.
राजस्थान लोक अदालत अफिसरान

25-5-78

न्याय आयोग द्वारा 201

25-5-78
Country

पत्रावली राजस्थान लोक अदालत अफिसरान
को अदालत में प्रेषित हुई। अदालत में 1 वें नंबर
कोई भी उपस्थित नहीं। अदालत को देना
कोई भी न्यायालय नहीं। पत्रावली एवं पत्रावली
का उपलब्ध दिनांक का अनुमोदन किया
गया। अदालत में प्रेषित आवेदन अदालत में
सूचना मिले बिना ही प्रेषित हुई। प्रेषित



सहायक कलेक्टर

राजस्थान लोक अदालत
अफिसरान

बाद में निम्नानुसार २६ सप्ताह रिजर्वेशन
 नौकरों की खपत खिचि नूतन २६ सप्ताह
 अग्रजिम्मा की अन्तर्गत निवेद्याना के
 प्रतिबन्धित किया जाता नूतन खिचि
 अन्तः अग्रजिम्मा का अग्रजिम्मा चर अन्तर्गत
 निवेद्याना स्वीकार किया जाता है तथा
 अग्रजिम्मा के मूल अन्तर्गत निम्नानुसार
 २६ सप्ताह अन्तर्गत निवेद्याना के
 प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्रास
 की जा बाली २६ सप्ताह दौलत में स्थित व. न.

327	328	329	342	तथा	343
०.५६	०.५६	०.३२	०.५९		०.०३

दुसरे कुल अन्तर्गत ५ कुल अन्तर्गत २६ सप्ताह
 अन्तर्गत के अन्तर्गत रिजर्वेशन में नौकरों के
 पदाधिकारी नूतन २६ सप्ताह अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत



द्वारा
 सहायक कलेक्टर
 दौसा